# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 99/23 तारीख 8/5/23

अनवान

संतोषदेवी पत्नि छगनलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............प्रार्थीया

**बनाम**

01. हीरालाल पुत्र देवीलाल जाति बारेठ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. बदु पत्नि तुलसीराम जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. विरेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.............विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

**–: आदेश :–** दिनांकः 30/5/23.

प्रार्थना पत्र **संतोषदेवी पत्नि छगनलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 311 पर अंकित आराजी संख्या 1031/309 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1101/309 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.3759 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 311 पर अंकित आराजी संख्या 1031/309 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1101/309 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.3759 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 99/23 तारीख 6/6/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ......99....................../2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

संतोषदेवी पत्नि छगनलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...........प्रार्थीया

**बनाम**

01. हीरालाल पुत्र देवीलाल जाति बारेठ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. बदु पत्नि तुलसीराम जाति बलाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कांमा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. विरेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवांनी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **ग्राम आरोली पटवार हल्का आरोली तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 311 पर अंकित आराजी संख्या 1031/309 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1101/309 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.3759 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा